न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 77/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

निर्णय दिनांक : 17.10.2025

तारीख रजू : 19.08.2025

उनवान

1. विनोद कुमार पुत्र स्व0 मदनलाल शर्मा, जाति ब्राह्म्ण, निवासी नीमराना, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान,
2. योगेश,
3. भगवत प्रसाद,
4. सत्यनारायण,
5. दिनेश,
6. मनोज,
7. राजेश पुत्रान पूरणचन्द,
8. शारदा,
9. पिस्ता,
10. कृष्णा पुत्रियान पूरणचन्द,
    समस्त जाति ब्राह्म्ण निवासी नीमराना, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री चेतराम गुर्जर अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार निमोरिया – अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 07 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी प्रकरण मदनलाल बनाम योगेश वगै0, प्रकरण संख्या 180/2011 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 07 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार निमोरिया ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा सहायक कलेक्टर बहरोड के समक्ष एक वाद अनुवानी मदनलाल बनाम योगेश वगैरह, बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। वाद दायरी के बाद नीमराना उपखण्ड बनने से उक्त वाद को नीमराना उपखण्ड के क्षेत्राधिकार का होने की वजह से ट्रांसफर किया गया और दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां विचाराधीन है जिसमें सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा स्थगन आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश फरमाये गये थे, जो आज दिनांक तक प्रभावी है। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर तथा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का निर्णय अपने पक्ष में करवाने की नियत से उक्त प्रकरण में एक शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

पेश किया गया जिसके सम्मन नोटिस प्रार्थी को नही भेजे गये, ना प्रार्थी की कोई तलबी कराई गई तथा केवल मात्र प्रार्थी के अधिवक्ता को नोटिस देकर नोटिस की औपचारिकता पूरी कर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पीठ पीछे से स्वीकार कर तारीख पेशी दे दी गई है तथा अप्रार्थीगण आये दिन पीठासीन अधिकारी से मिलते जुलते है तथा गांव में ऐलानियां धमकी देते है कि हमने पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर ली है और स्टे खारिज करवाकर आराजी को दीगर लोगो को बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगे । ऐसी सूरत में न्यायहित में प्रार्थी के उक्त वाद पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से ट्रांसफर किया जाकर किसी सक्षम न्यायालय से निस्तारण करवाया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से वादी को यह आभास हो गया है कि वादी को न्याय प्राप्त नही होगा इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है ।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 07 ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रभावी है, जिसे प्रार्थी लम्बित रखने के उद्देशय से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बा खींचने एवं जमीन को नाजायज रूप से मुकदमाबाजी में उलझायें रखने की योजना से झूठा मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि मुकदमा में वर्णित आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता पूर्णचन्द की पट्टाशुदा जमीन है। जिससे वादी का एवं अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/2045 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आरोप अस्वीकार है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

7. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रार्थी को मिला हुआ है, जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में शंका जाहिर की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं। इस प्रकार केवल शंका के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़